केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00081

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00114/2

अपीलकर्ता श्री प्रेमचंद बंगरिया

[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.02.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	19.02.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	25.02.2025, 06.03.2025 & 12.03.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बिजेंद्र कुमार CPIO, (DR to IC AR) श्री बाबू लाल (Dak Section) & श्री चन्दन कुमार CPIO (SO Admn)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	15.03.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.03.2025
निर्णय की तारीख	23.04.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 10.02.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

1.) अपीलकर्ता ने आर.टी.आई में 1.1 से 2.11 बिंदुओं पर सूचना मांगी है। (जो कि फाइल में सलग्न है)

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बिजेंद्र कुमार, श्री बाबू लाल तथा श्री चन्दन कुमार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारिओं ने पत्र दिनांकित 25.02.2025, 06.03.2025 तथा 12.03.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

Point 1.2) - आपका पत्र दिनांक 20.11.2024 केंद्रीय सूचना आयोग में 26.11.2024 को प्राप्त हुआ और डायरी नंबर 138037 के माध्यम से डायरी लिखी गई। इसे फ़ाइल संख्या CIC/BKOIN/A/2023/128876 के साथ लिंक किया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित रजिस्ट्री आई सी (ए आर) को भेज दिया गया है।

"Point 1.3 of 1 & 2.5 to 2.11of Pt. 2) – The complaint has been dealt with in accordance with Commission's Complaint Policy.

Point 1.1 of 1.) – No vedio of audio recording of proceedings in kept in CIC. Moreover the Appellant instead of asking any question is making complaint or levelling allegations which does not come in ambit of information under Section 2 (f) of RTI Act 2005."

3. प्रथम अपील का आधार

अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील, आवेदन के पैरा 2 के बिंदु 2.1 से 2.11 में बिंदुवार मांगी गई सूचना के सभी बिंदुओं के संबंध में की गई है, इसलिए यदि महोदय द्वारा इन बिंदुओं में से किसी भी बिंदु पर वांछित सूचना पूर्णतः या अंशतः न देने का विनिश्चय किया जाये तो उसके संबंध में प्रथम अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष/तथ्यों, आपेक्षों, प्रावधानों, सूचना आयोग के आदेशों, न्यायलयीन निर्णयादेशो को तथा उन पर के लो सू अ के पक्ष /स्पष्टीकरण/तर्कों को विचार में लेते हुए धारा 19 (6) में निहित प्रावधान एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप बिंदुवार सुस्पष्ट आदेश (Speaking Order) मय औचित्य (Justification) सह समर्थित स्पष्टीकरण /आधार को लेखबद्ध करते हुए पारित करने की कृपा करें।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00114 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी

गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु अपीलकर्ता ने बिंदु सं 2.1 से 2.5 में जो सूचना मांगी थी वह उसे प्रदान नहीं की गई। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश के प्राप्ति के दस दिन के भीतर आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00114 के तहत बिंदु सं 2.1 से 2.5 में मांगी गई सूचना का अवलोकन कर अपीलकर्ता को पुनः स्पष्ट सूचना प्रेषित की जाये।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक 23.04.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) श्री बिजेंद्र कुमार, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (DR to IC AR), केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

PS/ICAR 24/4

(8) 24/04/25

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 APR 2025
D. No. ....
Initials........